

कार्यालय मुख्य अभियंता (परिचामी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक-1272/ग्रा080से0/लेखा-ठेके0पंजी0- /2018-19/दिनांक-13.09.2019

पंजीकरण संख्या-466/क्षेत्री शी/मार्ग निर्माण/2019

--: पंजीकरण प्रमाण पत्र --:

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली के पत्रांक-2297 दिनांक 11.02.2019 से प्राप्त विसके द्वारा मैसर्स श्री साईं कन्स्ट्रक्शन प्रो श्री देवेन्द्र कुमार निवासी नगर पंचायत रुदायन, राहसील बिल्सी जिला बदायूं का क्षेत्री-“बी” में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों के सत्यापन/संस्तुति के आधार पर मैसर्स श्री साईं कन्स्ट्रक्शन प्रो श्री देवेन्द्र कुमार निवासी नगर पंचायत रुदायन, राहसील बिल्सी जिला बदायूं को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में मार्ग निर्माण कार्य के लिये क्षेत्री-“बी” में ठेकेदारी हेतु दिनांक-30.06.2021 तक की अवधि के लिए एतद्द्वारा पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिचामी क्षेत्रात्मक उत्तर प्रदेश के राजस्व मण्डल बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, विजयपुराण बौदा एवं झंसी के जनपदों में मान्य होगा तथा इसकी वैधता दिनांक-30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त सम्झी जायेगी।

नवीनीकरण हेतु पार्श्वना पत्र अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बदायूं के कार्यालय में वैधता तिथि समाप्त होने के दो माह पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(अनिल कुमार गनी)  
मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)।

पत्रांक एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बदायूं।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-बरेली।
- 3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आदेश की प्रति अपने स्तर से अधीनस्थ प्रखण्ड/पीआइए0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निर्देशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, (मानी0/नियो0) उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मैसर्स श्री साईं कन्स्ट्रक्शन प्रो श्री देवेन्द्र कुमार निवासी नगर पंचायत रुदायन, राहसील बिल्सी जिला बदायूं (मो0नं0 9719829490 ई-मेल- [au19719829490@gmail.com](mailto:au19719829490@gmail.com)) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि प्रस्तुत अनिलेखा में आप द्वारा किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना सुसंगत अनिलेखा की प्रमाणीत प्रतियां सहित तत्काल इस कार्यालय को दी जाये तथा अनिलेखा में इंगित पते/ई-मेल पर भेजा गया पत्र आपको प्राप्त हुआ माना जायेगा।
- 7- अवर अभियन्ता (प्राविधिक) कार्यालय मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि फर्म/ठेकेदार के पंजीकरण की इण्ट्री वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य अभियन्ता (प0क्ष0)।

07.03.2019

